ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः 8/18

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः फरवरी 23, 2018

विषयः– रिट याचिका सं0–1036(एम0/बी0)2016 (पीआईएल) नेशनल एलाइन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्याः एफएस–1076/2012 दिनांक 05.10.2012 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः एफएस–1076/2012 दिनांक 16.12.2015 द्वारा अग्निशमन सेवा हेतु जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक आदेश को निरस्त करते हुए शासनादेश सं0–1765/छः–पु0–8–2017–905(34)2016 दिनांक 16.02.2018 द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों व पण्डालों आदि के निर्माण के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी विषयों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश किये गये है।

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में आतिशबाजी के निर्माण एवं विक्रय, शस्त्रागार एवं शस्त्रों की मरम्मत की दुकानों, भवन एवं स्कूल निर्माण के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, होटलों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण, छविगृह के नवीनीकरण, विशिष्ट महानुभावों के कार्यक्रमों के दौरान बनाये गये पण्डालों, मतगणना स्थल पर मत पेटियों को रखने हेतु बनाये गये स्ट्रांग रूम आदि के सम्बन्ध में अग्नि एवं जीवनसुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों के प्रकार, अग्निशमन एवं सुरक्षा उपायों हेतु भवन निर्माण के पूर्व मानचित्र का अनुमोदन, अग्निशमन एवं सुरक्षा हेतु भवन निर्माण के पश्चात जारी अग्निशमन एवं सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण की सम्प्रेक्षा, निर्धारित मापदण्ड़ों के विपरीत जारी प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के प्रकरण पर निर्णय हेतु समाधान समिति के गठन, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अपील एवं अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसकी प्रति **संलग्न** है।

3. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.02.2017 के अनुक्रम में अग्नि शमन एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांकित 16.02.2018 का बिना किसी विचलन के सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
23/2/18
(ओ0पी0सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

295
19/2/19

URGENT!
K.P. Singh
AD (Legal).
Pl. study & brief me.
19/2/18
DG.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

कोर्ट केस/महत्वपूर्ण

संख्याः 1765/छः-पु0-8-2017-905(34)/2016

प्रेषक

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2018

विषयः रिट याचिका संख्या-1036 (एम0बी0)2016 (पीआईएल) नेशनल एलाइन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 का अनुपालन किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ0एस0-1076-2012, दिनांक 07.06.2017, पत्र संख्या-एफ0एस0-1508/2015, दिनांक 28.08.2017 एवं पत्र संख्या-एफ0एस0-1071/2017, दिनांक 07.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या-1036 (एम0बी0)2016 (पीआईएल) नेशनल एलाइन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के क्रम में अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु आख्या एवं संस्तुतियाँ प्रेषित की गयी है।

2- उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के आदेश दिनांक 16.12.2015 कोNational Building Code, 2005 के प्राविधानों के विपरीत तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-483/2004 अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.04.2009 का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। उपरोक्त याचिका में अग्निशमन सेवा के बारे में कई अन्य सेवा सम्बन्धी बिन्दुओं को अंकित करते हुए मुख्य रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु नीति निर्धारित करने की भी माँग की गयी है तथा दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का शासन स्तर पर पुनरावलोकन करने की भी माँग करते हुए उक्त रिट याचिका में अन्य याचनाओं के अतिरिक्त निम्नवत् याचना की गयी हैः-

A to DGP.
For nal.
20/2 DGP.

(iii) to issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the state Government to constitute a committee comprising of experts in the field of fire services to frame a Policy and to determine a mechanism for issuing " No Objection Certificate" keeping in view the Public Safety and ensuring accountability, transparency and proper checks and balance on authorities issuing the "No Objection Certificate ".

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 03.02.2017 को पारित आदेश में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, मुख्यालय, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.02.2016 के माध्यम से निदेशक, फायर सर्विस की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिये गये, जो पारदर्शी हो, जन सुरक्षा उन्मुख हो तथा निर्गत करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही हो एवं उनके ऊपर नियंत्रण एवं संतुलन बना रहे। इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गयी थी कि ऐसी प्रक्रिया National Building Code एवं National Disaster Management Guide Lines अप्रैल, 2012 के प्राविधानों के दृष्टिगत निर्गत की जाय। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"Counsel for respondents 1 to 5, on instructions, submits that the Director General of Fire Services, vide his order dated 22.02.2016 has placed the order dated 16.12.2015 in abeyance and has also constituted Experts' Committee, consisting of the Director, Deputy Director and Joint Director of Fire Services, to reconsider the order dated 16.12.2015. He submits that till today the Committee has not submitted its report. Keeping that in view and having considered the prayer clause (iii) in the writ petition and as agreed by learned Chief Standing Counsel for respondents 1 to 5, we direct the Committee to also determine a mechanism for issuing no objection certificate keeping in view the public safety and ensuring accountability, transparency and proper checks and balance on the authorities issuing such certificate, keeping in view the National Building Code and the National Disaster Management Guidelines issued by the National Disaster Management Authority , Government of India, in April 2012. The Committee shall endeavor to submit its report as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from today. Learned Standing Counsel for the respondents 1 to 5 shall communicate this order along with the copy of the writ petition and annexure and so also the affidavits, Counter affidavits before the Committee within a period of two weeks from today." The respondents, under any circumstances, shall not act on the order dated 16.12.2015, impugned in the present writ petition until the fresh orders are issued on the basis of the report of the Experts' Committee. It is needless to mention that the committee shall submits its report within the stipulated time to the State Government through the Director General, Fire Services, and in turn, the State Government shall issue appropriate directions to the authorities concerned. We hope and trust that the Government shall take appropriate decision and issue orders on the basis of the report as for as possible within a period of two month from the date of presentation of report.

Till the Committee submits its report and on the basis thereof fresh orders are conferring power to issue no objection certificate, the certificates already issued on the basis of the impugned order and even after keeping this order in abeyance shall be subject to review, if necessary. With these observations, writ petition is disposed of.

4- पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ.एस.-1076-2012 दिनांक 22.02.2016 द्वारा अग्निशमन सेवा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 16.12.2015 को अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुए गठित चार सदस्यीय समिति को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, नियमों, अधिनियमों तथा अन्य प्रदेशों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का परीक्षण करते हुए संकलित आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी याचिकाकर्ता की याचिका के Prayer Clause(iii) पर विचारण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समिति से प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में समिति से अग्निशमन सुरक्षा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त सम्पूर्ण अग्निशमन सेवा के ढाँचे को बदलने के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ भी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी, जबकि इस विषय के सम्बन्ध में समिति से संस्तुति की अपेक्षा नहीं की गयी थी। अग्निशमन सेवा के ढाँचे के बदलाव एक विस्तीर्ण विषय है जो अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र से पृथक है तथा इसमें कई नीतिगत पहलू ऐसे हैं, जिससे अन्य विभाग भी प्रभावित होंगे अतः इस विषय पर किसी निर्णय से पहुँचने से पूर्व इन विभागों से विचार करने के उपरान्त ही कोई निर्णय लेना सम्भव होगा। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय एवं तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत समिति की आख्या में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धी संस्तुतियों पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

5- समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन निष्पादित करने हेतु संस्तुतियाँ की गयी है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही शासनादेश संख्या-961/छः-पु-8-17-905(34)/2016 दिनांक 27.06.2017 के द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस एवं निदेशक, तकनीकी एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को एक बृहद साफ्टवेयर विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके क्रम में एन.आई.सी. द्वारा NIC(UPSU)/UPFS-COMP/2017/771 दिनांक 20.12.2017 के माध्यम से निदेशक, अग्निशमन सेवा को इसका प्रोजेक्ट प्लान प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें एनआईसी द्वारा कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।

6- अग्निशमन अधिकारियो के मध्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के पत्रांक-एफ.एस.-1076/2012 दिनांक 05.10.2012 तथा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,अग्निशमन सेवा के पत्रांक-एफ.एस.-1076-2012 दिनांक 16.12.2015 द्वारा प्रस्तावित की गयी थी, वो दोनों ही व्यवस्थाएँ

नेशनल बिल्डिंग कोड- 2016 के भाग-4 की टेबल-7 के अनुरूप नहीं है। उ0प्र0 फायर सर्विस एक्ट, 1944 के 19 (1) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी को ही किसी भी भवन का निरीक्षण किया जाने हेतु अधिकृत किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझाव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में सिनेमेटोग्राफ रूल्स, 1951, उ0प्र0 कारखाना अधिनियम, 1950, में अधिकृत किया गया है। मात्र आर0बी0ओ0 एक्ट, 1958 में निदेशक, फायर सर्विस को भवनों के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है किन्तु उक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण उपविधि, 2008 यथा संशोधित, 2011, संशोधन, 2016 एवं उ0प्र0 इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट विभाग, जिला पंचायत आवास विकास परिषद द्वारा निर्गत बिल्डिंग बाइलॉज में मुख्य अग्निशमन अधिकारी को ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। अग्नि निवारण और अग्नि से सुरक्षा के उपाय एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2464/छ-पु0-8-2005, दिनांक 09.12.2005 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में जिला प्रशासन द्वारा यदि किसी भवन अथवा परिसर के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है, तो अग्निशमन सेवा के अधिकारियों द्वारा तदनुसार निरीक्षण कर अपनी आख्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया जायेगा। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि आतिशबाजी के निर्माण एवं विक्रय के संबंध में अग्निसुरक्षा के संबंध में अनापत्ति शस्त्रागार एवं शस्त्रो की गरम्मत की दुकानों के संबंध में अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति मिट्टी के तेल डीजल, पेट्रोल के डिपों या पेट्रोल पम्पों के संबंध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति, भवन निर्माण के संबंध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति, स्कूल के संबंध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति, होटलो के पंजीकरण व वर्गीकरण के संबंध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति, छविग्रहों के नवीनीकरण के संबंध में अग्निसुरक्षा संबंधी अनापत्ति, विशिष्ट महानुभावों के कार्यक्रमों के दौरान बनाये गये पण्डालों के संबंध में अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति, मतगणना स्थल पर मत पेटियों के रखने हेतु बनाये गये स्ट्रांग रूम के संबंध में अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति आदि जिला मजिस्ट्रेट की अपेक्षानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इससे विदित है कि ज्यादातर नियमों व अधिनियमों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी को ही अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भी स्थानीय स्तर पर ही अग्निशमन सेवा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने पर बल दिया गया है।

7- अतः इस सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियों पर विचार करते वक्त इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि अधिकांश अधिनियमों/नियमों/उपनियमों/शासनादेशों आदि में अग्निशमन अधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी का ही संदर्भ दिया गया है। यद्यपि उप निदेशक, संयुक्त निदेशक/निदेशक भी तकनीकी अधिकारी होते हैं किन्तु इनकी एन0ओ0सी0 प्रक्रिया में सहभगिता तकनीकी परीक्षण/अनुमोदन तक सीमित होनी चाहिए, क्योकि एन0ओ0सी0 फील्ड की एक भौतिक सत्यापन प्रक्रिया है तथा निकटतम अधिकारी उसका सत्यापन अधिक गहराई से कर सकता है और आवेदक अनावश्यक दौड़-भाग करने से बचते हुये प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी

तक अपका लिक अधिकारी काफी करीबी जनपद का होता है, किन्तु संयुक्त निदेशक एवं निदेशक, मुख्यालय, फायर सर्विस में दूरस्थ होता है। इसलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जितने उच्च स्तर पर निर्गत होंगे उससे आवेदक की समस्या का समाधान होने की जगह उसकी समस्या और बढ़ जायेगी। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए प्रदेश में एनओसी की प्रक्रिया को केन्द्रीयकृत करना व्यवहारिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं जनता की सुविधा को देखते हुए किया जाना उचित नही होगा . **अतः सम्यकविचारोपरान्त अग्निशमन अधिकारियो के मध्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नई व्यवस्था संलग्नक-1 में दी गयी तालिका के अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि अधिकांश आवेदको को जनपद स्तर पर ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सके और उन्हें मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।**

8- जनपदों में लगाये जाने वाले सभी प्रकार के अस्थायी पंडालों का अग्निशमन सेवा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर अग्निशमन अधिकारी के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्रदान किया जायेगा:-

क्रमांक	भवन का प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	निरीक्षण अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	निर्गमन अधिकारी
1	अस्थाई पण्डाल एवं संरचना	2000 तक	अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी
2	अस्थाई पण्डाल एवं संरचना	2000 से अधिक	अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उप निदेशक

नोट- विशिष्ट महानुभावों के कार्यक्रमों के दौरान बनाये गये पण्डालों के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-2464/छः-पु-8-2005 दिनांक 09.12.2005 के अनुसार जिला प्रशासन की अपेक्षा पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जायेगा, परन्तु यदि अस्थाई पण्डाल/संरचना का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मी. से अधिक है तो सम्बन्धित उपनिदेशक भी निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर की गयी अग्निशमन व्यवस्था मानकों के अनुसार व पर्याप्त है।

9- अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्रों के प्रकारः-

ऐसे भवन जिसमे किसी भी अधिनियम/नियम/उपविधि के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछनीय होंगे, को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों हेतु भवन निर्माण के पूर्व मानचित्र का अनुमोदन, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा अग्निशमन एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण जारी किया जायेगा।

(क) अग्नि सुरक्षा उपायों हेतु भवन-निर्माण के पूर्व मानचित्र का अनुमोदन-

भवन निर्माण के पूर्व मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों का परीक्षण कर **संलग्नक-1** की तालिका के अनुसार अनुमोदन प्रदान करते हुए **प्रारूप-घ (सलग्नक-3)** में औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। आवेदक को दिये जाने वाले प्रश्नोत्तरी का **प्रारूप-ख (संलग्नक-2)**, निरीक्षण अधिकारी की आख्या का **प्रारूप-ग (संलग्नक-4)** तथा आपत्ति हेतु **प्रारूप-ज (संलग्नक-5)** निर्धारित किये गये हैं।

(ख) अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों हेतु भवन-निर्माण के पश्चात जारी अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-

भवन निर्माण के पश्चात् अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों हेतु मानचित्र के अनुमोदन के अनुसार भवन का निरीक्षण व परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 मेंनिर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों का परीक्षण कर संलग्नक-1 की तालिका के अनुसार अनुमोदन प्रदान करते हुए **प्रारूप-छ (संलग्नक-6)** में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसे अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नाम से जाना जायेगा। इस प्रमाण-पत्र की अवधि आवासीय भवन (होटल को छोड़कर) हेतु 05 वर्ष तथा अनावासीय भवनों (होटल सहित) हेतु 03 वर्ष निर्धारित की जाती है। इस हेतु निरीक्षण आख्या का **प्रारूप-ग** तथा शपथ-पत्र का **प्रारूप-च (संलग्नक-8)** निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही समीक्षक अधिकारी द्वारा अग्रसारित की जाने वाली आख्या **प्रारूप- ब (संलग्नक-7)** के अनुसार निर्धारित की गयी है। निरीक्षण/समीक्षक/निर्गमन अधिकारी जिन बिन्दुओं से असहमत हो तो आवेदक को एक ही बार में समस्त आपत्तियों को निर्गमन अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(ग) अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण-

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार भवन का निरीक्षण व परीक्षण कर अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण निर्धारित अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व संलग्नक-1 की तालिका के अनुसार निर्गमन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसकी वैधता आवासीय भवन (होटल को छोड़कर) हेतु 05 वर्ष तथा अनावासीय भवनों (होटल सहित) हेतु 03 वर्ष होगी तथा प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-झ (संलग्नक-9)** निर्धारित किया गया है।

यदि निर्गमन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई तकनीकी जटिलता प्रकट होती है तो वह उसके समाधान व मार्गदर्शन के लिए ऐसे प्रकरण समाधान समिति को सन्दर्भित करेंगे।

10- आन्तरिक आडिट/चेक एण्ड बैलेन्स-

औपबन्धिक रूप से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र,अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा नवीनीकरण के पश्चात जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सम्प्रेक्षा निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित सम्प्रेक्षक अधिकारी द्वारा की जायेगी:-

क्र.	सम्प्रेक्षा अधिकारी	सम्प्रेक्षा की आन्तरिक व्यवस्था
1	उपनिदेशक	अपने अधिकार क्षेत्र के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी स्तर से निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रमाण-पत्रों में से प्रत्येक जनपद के न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से चेक करेंगे।
2	संयुक्त निदेशक	अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक जनपद व परिक्षेत्र के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी एवं उप निदेशक स्तर से निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रमाण-पत्रों में से प्रत्येक जनपद व प्रत्येक परिक्षेत्र के न्यूनतम 3 प्रतिशत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से चेक करेंगे।
3	निदेशक	सम्पूर्ण प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, उपनिदेशक एवं संयुक्त निदेशक स्तर से निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रमाण-पत्रों में से प्रत्येक जनपद के न्यूनतम 1 प्रतिशत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से चेक करेंगे।

सम्प्रेक्षक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत किये गये प्रमाण-पत्रों में निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया है एवं निर्धारित समयावधि में जारी किये गये हैं। यदि सम्प्रेक्षक अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित मापदण्डों के विपरीत जारी किया गया है तो वह उसे निरस्त करने हेतु समाधान समिति को सन्दर्भित करेगा।

11- समाधान समिति

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय पर निम्नानुसार समाधान समिति गठित की जाती है:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस — अध्यक्ष
2. निदेशक, उत्तर प्रदेश, फायर सर्विस — सदस्य सचिव
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक — सदस्य

यह समिति अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के प्रकरण पर निर्णय लेते हुए उसको निरस्त करने की कार्यवाही करेगी। यदि किसी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण पर विचार किया जाता है तो सम्बन्धित संयुक्त निदेशक के स्थान पर अन्य संयुक्त निदेशक को पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस द्वारा नामित किया जायेगा।

इस समिति द्वारा एनबीसी, 2016, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम/नियम, 2005 और स्थानीय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि अथवा किसी अन्य अधिनियम, नियम व शासनादेश

में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार शासन से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जायेगा।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के समय यदि कोई ऐसी तकनीकी जटिलता निर्गमन अधिकारी के समक्ष प्रकट होती है तो निर्गमन अधिकारी द्वारा उसके समाधान के लिए समाधान समिति से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

यदि किसी भवन को संलग्नक-1 में दी गयी तालिका के अनुसार किस वर्ग/श्रेणी का माना जायेगा को निश्चित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रकरण समाधान समिति को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर समिति द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

12- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के नियम 9 में अपील की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत है:-

"(1) नामनिर्दिष्ट अधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के किसी नोटिस या उसके आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या राज्य सरकार को उस नोटिस या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा-1 के अधीन सरकार को अपील कोई ऐसे प्रपत्र में और उस नोटिस या आदेश की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है और ऐसे फीस के साथ की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।"

उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-8 में प्राविधानित है कि

"(क) अधिनियम की धारा-9 की उपधारा(1) के अधीन प्रमुख सचिव, गृह के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी कोई अपील, इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र-घ में की जायेगी और इसके साथ 5,000 रूपये (पाँच हजार रूपये मात्र) की फीस संलग्न की जायेगी।

(ख) अपील की फीस कोषागार (ट्रेजरी) चालान के माध्यम से भुगतान की जायेगी।"

उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-9 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार को प्रमुख सचिव, गृह के माध्यम से की जाने वाली अपीलों के लिए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

क्र.	अधिकारी जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जानी है	प्रथम अपीलीय (बी)	द्वितीय अपीलीय (सी)
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय उपनिदेशक	सम्बन्धित संयुक्त निदेशक
2	उप निदेशक	सम्बन्धित संयुक्त निदेशक	निदेशक, फायर सर्विस
3	संयुक्त निदेशक	निदेशक, फायर सर्विस	महानिदेशक, फायर सर्विस
4	समाधान समिति	महानिदेशक, फायर सर्विस	प्रमुख सचिव, गृह

यदि कोई आवेदक औपबन्धिक प्रमाण-पत्र, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रमाण-पत्र निर्गमन अधिकारी के किसी आदेश या उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दी गयी किसी नोटिस या कार्यवाही से असहमत हो तो वह उपरोक्त तालिका में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 30 दिन के अन्दर अपील **प्रारूप-ठ (संलग्नक-10)** में कर सकेगा। उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के नियम 9 के अधीन की गयी अपील उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 अनुलग्न प्रपत्र-घ में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उपरोक्त तालिका में किये गये प्रतिनिधायन के अनुसार की जायेगी।

यदि किसी द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसके समक्ष अपील में प्रस्तुत प्रकरण का समाधान शासन स्तर से होना है तो वह पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस के माध्यम से शासन को सन्दर्भित करेगा।

13- फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति

वृहद शैक्षिक भवन, बिजनेस बिल्डिंग(श्रेणी-ई) जिनकी ऊँचाई 30मी. या उससे अधिक हो, आवासीय भवन जिनकी ऊँचाई 60 मी. या उससे अधिक हो, संस्थागत भवन जिनकी ऊँचाई 15मी. या उससे अधिक हो एवं स्टार होटल(ए-6) एवं असेम्बली भवन(डी-6) के भवनों के लिए एनबीसी-2016 के भाग-4 के प्रस्तर-4.10.1 के अनुसार एक कम-से-कम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त योग्य फायर सेफ्टी आफिसर नियुक्त किया जायेगा, जो प्रस्तर-4.10.2 में उल्लिखित अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रख-रखाव को सुनिश्चित करेगा एवं स्थानीय अग्निशमन केन्द्र से समन्वय रखेगा।

इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार के भवनों के भवन स्वामी, अधिवासी अथवा संगठन, जिनके द्वारा निम्न प्रकार के भवनों का संचालन किया जा रहा है, को ऐसे भवनों में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु किसी भिज्ञ व्यक्ति को फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में नामित किया जायेगा:-

1. सिनेमा घरों जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था तथा 10000 वर्ग मी. से अधिक कामर्शियल बिल्टअप एरिया अथवा ऐसे भवन, जिसमें मल्टीप्लेक्स के साथ 1000 या उससे अधिक व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था हो।
2. 100 अथवा उससे अधिक कमरे के होटल
3. अन्डर ग्राउन्ड शापिंग काम्पलेक्स, बिजनेस सेन्टर मय बेसमेन्ट, जिसकी बिल्टअप एरिया 25000 वर्ग मी. से अधिक हो।
4. 50 मी. से अधिक ऊँचाई अनावासीय मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग।
5. बड़े आयल एवं नेचुरल गैस के इन्टालेशन जैसे-रिफाइनरी, बाटलिंग प्लान्ट तथा इसी प्रकार की सुविधाओं वाले भवन।

6. 50000 से अधिक बैठक की क्षमता वाले ओपेन स्टेडियम तथा 25000 से अधिक बैठने की क्षमता वाले इन्डोर स्टेडियम
7. 500 से अधिक बेड वाले हास्पिटल तथा नर्सिंग होम
8. पब्लिक एवं सेमी पब्लिक बिल्डिंग जैसे मेट्रो/रेलवे स्टेशन, इण्टरस्टेट बस टर्मिनल, एयरपोर्ट, मनोरंजन पार्क तथा इसी प्रकार के भवन।

राजकीय भवनों (आवसीय एवं अनावासीय) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय कर भवनों का निरीक्षण कराने तथा उसके अनुसार कार्यवाही करने तथा अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता बनाये रखने व महत्वपूर्ण भवनों मे फायर ड्रिल कराने के निर्देश पूर्व मे जारी शासनादेश संख्या 1148/छः-पु-8-17-804(70)/17 दिनांक 27-07-2017 मे दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार राजकीय एवं निजी अस्पतालों मे प्रभावी अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध मे जारी शासनादेश संख्या 1975/छः-पु-8-16-801(45)/2016 दिनांक 09-12-2016 मे अग्निशमन अधिकारियों के माध्यम से अग्निशमन सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे। इस सम्बन्ध मे पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों शासनादेशो मे दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 01 माह के अन्दर महत्वपूर्ण राजकीय भवनों (जिसमे अस्पताल भी सम्मिलित हैं) मे स्थित कार्यालयों मे किसी योग्य अधिकारी को फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप मे नामित करना सुनिश्चित करें।

14- इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1821/छः-पु-8-08-65(रिट)/06 दिनांक 25-07-2008 के अनुसार मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शापिंग काम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे समिति गठित है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति में सम्बन्धित क्षेत्र के संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक सदस्य के रूप मे सम्मिलित किये जाते हैं। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

15- अग्निशमन सेवा हेतु जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के आदेश दिनांक एफएस-1076/2012, दिनांक 05.10.2012 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-1076-2012 दिनांक 16.12.2015 को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन, विभाग।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. आवास आयुक्त उ0प्र0, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
9. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1

क्र0 सं0	आच्छादित भवन का प्रकार (ऊंचाई मीटर में)	निरीक्षण अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	निर्गमन अधिकारी	अभियुक्ति
आवासीय भवन (ए)					
ए)	लॉजिंग एण्ड बोर्डिंग हॉउसेज (ए1)				
	15 मीटर से कम ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
बी)	एक या दो परिवार निजी आवास (ए2)	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	500 वर्ग मीटर से कम (कवर्ड एरिया) आच्छादित क्षेत्रफल में गृह स्वामी की अपेक्षानुसार इससे अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में अनिवार्य।
सी)	डोरमेट्री (ए3) एवं अपार्टमेंट्स हाउसेज (ए4)				
1)	15 मीटर से कम ऊंचाई या 4 मंजिल (जी+3) तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	500 वर्ग मीटर से कम (कवर्ड एरिया) आच्छादित क्षेत्रफल में गृह स्वामी/प्रशासन की अपेक्षानुसार इससे अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में अनिवार्य।
2)	15 मीटर से 60 मीटर ऊंचाई तक तथा 5 मंजिल (जी+4) या उससे अधिक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
3)	60 मीटर से अधिक तथा100 मीटर की ऊँचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
4)	100 मीटर से अधिक	एफ0एस0ओ/ सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	संयुक्तनिदेशक	अनिवार्य
डी)	होटल (ए5)				
1)	30 मीटर की ऊंचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
2)	30 मीटर से अधिक ऊँचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
ई)	होटल (ए 6)	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
शैक्षणिकभवन (बी) Building above 30m. in hight not to be permited for Group B Occupancies.					
1)	24 मीटर या उससे कम ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
2)	24 मीटर से अधिक तथा 30 मीटर की ऊँचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
संस्थागतभवन (सी) Building above 30m. in height not to be permited for Group C Occupancies					
ए)	हास्पिटल आरोग्य एवं नर्सिंग होम्स (सी-1)				

1)	30 मीटर या उससे कम ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
2)	30 मीटर से अधिक तथा 45 मीटर तक (एन्बीसी 2016) के भाग-4 के प्रस्तर 4(जी) 6.3.2 के अनुसार ही उपयोग अनुमन्य होगा।	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	Other types of patient and occupancies incidental to the hospitals such as consultation rooms, nurses stations, medical shops, canteens may be housed at heights beyond 30 mt. but not more than 45 mt.
बी)	कसटोडियल (सी-2), पीनल एण्ड मेन्टल (सी-3)				
	30 मीटर या उससे कम ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
ऐसेम्बली बिल्डिंग (डी) Building above 30m. in height not to be permited for Group D Occupancies					
ए)	बिल्डिंग्स (डी-1 से डी-5)				
1)	24 मीटर की ऊंचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
2)	24 मीटर से अधिक तथा 30 मीटर की ऊंचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
बी)	डी-6	एफ0एस0ओ0 / सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	नोट-3 के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित होगी।
सी)	डी-7	एफ0एस0ओ0 / सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	अनिवार्य
बिजनेस बिल्डिंग्स (ई)					
1)	15 मीटर से कम ऊंचाई या 4 मंजिल(जी+3)* तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	500 वर्ग मीटर से कम (कवर्ड एरिया) आच्छादित क्षेत्रफल गृह स्वामी/प्रशासन की अपेक्षानुसार। इससे अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में अनिवार्य।
2)	15 मीटर से 30 मीटर ऊंचाई तक तथा 5 मंजिल (जी+4)* या उससे अधिक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	अनिवार्य
3)	30 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	अनिवार्य
मर्केण्टाइल्स बिल्डिंग्स (एफ) Building above 30m. in height not to be permitted for Group F Occupancies.					
1)	15 मीटर से कम ऊंचाई या 4 मंजिल (जी+3)* तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	500 वर्ग मीटर से कम आच्छादित क्षेत्रफल(कवर्ड एरिया) गृह स्वामी/प्रशासन की अपेक्षानुसार। इससे अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में

					अनिवार्य।	
2.	15 मीटर से 30 मीटर ऊँचाई तक तथा 5 मंजिल (जी+4) या उससे अधिक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0		अनिवार्य
3.	मर्केन्टाइल आफिस कामप्लेक्स	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक		अनिवार्य
इण्डस्ट्रियल बिल्डिंग (जी)						
	लो हैजार्ड (जी-1)	Building above 18m. in height not to be permitted				
	18 मीटर या उससे कम ऊंचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0		अनिवार्य
	मॉडरेट हैजार्ड (जी-2)	Building above 18m. inheight not to be permitted.				
	18 मीटर या उससे कम ऊंचाई तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक		अनिवार्य
	हाई हैजार्ड (जी-3)	Building above 15m. inheight not to be permitted.				
	इस श्रेणी के अन्तर्गत समस्त भवन	एफ0एस0ओ0/ सी0एफ0ओ0	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक		अनिवार्य
स्टोरेज बिल्डिंग (एच) Building above 15m. in height not to be permitted for group H Occupancies. however building above 45m. height shall not be permitted for multi level car parking (MLCP) Occuupancy.						
1.	सिंगल स्टोरी/ ग्राउंड प्लस वन फ्लोर (जी+1) तक	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0	500 वर्ग मी. से कम आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) में विद्यमान नियमों में प्रशासन की अपेक्षानुसार अथवा भवन स्वामी के अनुरोध पर। इससे अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में अनिवार्य।	
2.	मोर दैन ग्राउंड प्लस वन फ्लोर	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक		
3.	मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी)	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक		
खतरनाक भवन (जे) Building above 15m. in height not to be permitted for group-J Occupancies. however building above 45m. height shall not be permitted for multi level car parking (MLCP) Occupancy.						
1.	15 मीटर तक ऊंचाई					
	i) सिंगल स्टोरी बिल्डिंग	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	सी0एफ0ओ0		अनिवार्य
	ii) मोर दैन वन फ्लोर बिल्डिंग तथा 15 मीटर से कम ऊंचाई	एफ0एस0ओ0	सी0एफ0ओ0	उप निदेशक		अनिवार्य

*जी+1- भूतल के अतिरिक्त एक तल, जी+2- भूतल के अतिरिक्त दो तल, जी+3- भूतल के अतिरिक्त तीन तल, जी+4- भूतल के अतिरिक्त चार तल

नोट-

1. किसी भी आक्यूपीन्सी के भवनों की ऊँचाई एनबीसी, 2016 में प्राविधानित मानकों से अधिक नहीं होगी।
2. सभी प्रकार के भवनों में अग्निशमन अधिकारी की आख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त तालिका में दिये गये ऑक्यूपेन्सी के प्रकार की परिभाषा वही होगी, जैसा कि एनबीसी-2016 के भाग-4 में परिभाषित किया गया है।

4. **निरीक्षक, समीक्षा एवं निर्गमन अधिकारी का दायित्व-**

क. **निरीक्षण अधिकारी** का दायित्व होगा कि औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि उसमें प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था, आवागमन हेतु छोड़े गये मार्ग, निकासी हेतु प्रस्तावित मार्ग इत्यादि अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थायें नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार प्रस्तावित की गयी हों। यदि उसमें कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह आपत्ति करते हुए अपनी आख्या समीक्षक अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

इसी प्रकार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु अथवा अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण हेतु प्रकरण में उसका दायित्व होगा कि वह भौतिक रूप से सम्बन्धित भवन व इकाई का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि उक्त भवन/इकाई में अग्निशमन व्यवस्थाएँ तथा इस हेतु लगाये गये उपकरण औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों व नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार हैं व क्रियाशील हैं। यदि उसमें कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह आपत्ति करते हुए अपनी आख्या समीक्षक अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

ख. **समीक्षक अधिकारी**- का दायित्व होगा कि औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण कर निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्रसारित आख्या तथा मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था, आवागमन हेतु छोड़े गये मार्ग, निकासी हेतु प्रस्तावित मार्ग इत्यादि अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थायें नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार प्रस्तावित की गयी हों। यदि उसमें कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह आपत्ति करते हुए अपनी आख्या निर्गमन अधिकारी को अग्रसारित करेगा। उसका यह भी दायित्व होगा कि यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी आपत्ति लगायी गयी है जो आवश्यक नहीं थी तो वह निर्गमन अधिकारी को अपनी आख्या अग्रसारित करते समय इस आशय टिप्पणी अंकित करेगा।

इसी प्रकार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु अथवा अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण हेतु प्रकरण में उसका दायित्व होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्रसारित आख्या का भली-भाँति परीक्षण कर सन्तुष्ट हो कि उक्त भवन/इकाई में अग्निशमन व्यवस्थाएँ तथा इस हेतु लगाये गये उपकरण औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों व नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार हैं व क्रियाशील हैं । यदि उसमें कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह आपत्ति करते हुए अपनी आख्या निर्गमन अधिकारी को अग्रसारित करेगा । उसका यह भी दायित्व होगा कि यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी आपत्ति लगायी गयी है जो आवश्यक नहीं थी तो वह निर्गमन अधिकारी को अपनी आख्या अग्रसारित करते समय इस आशय की टिप्पणी अंकित करेगा।

यदि कोई जटिल प्रकरण है तो समीक्षक अधिकारी भी भौतिक रूप से स्वयं भी निरीक्षण कर सकता है।

ग. **निर्गमन अधिकारी-** का दायित्व होगा कि औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण कर समीक्षक अधिकारी द्वारा अग्रसारित आख्या तथा मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था, आवागमन हेतु छोड़े गये मार्ग, निकासी हेतु प्रस्तावित मार्ग इत्यादि अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थायें नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार प्रस्तावित की गयी हों । उसका यह भी दायित्व होगा कि यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी आपत्ति लगायी गयी है जो आवश्यक नहीं थी तो वह ऐसी आपत्तियों को निरस्त करेगा । यदि मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं में कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह निर्धारित **प्रारूप-ज (संलग्नक-5)** में आवेदक को समस्त आपत्ति एक बार में उपलब्ध करायेगा।

इसी प्रकार अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र हेतु अथवा अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण हेतु प्रकरण में उसका दायित्व होगा कि वह समीक्षक अधिकारी द्वारा अग्रसारित आख्या का भली-भाँति परीक्षण कर सन्तुष्ट हो कि उक्त भवन/इकाई में अग्निशमन व्यवस्थाएँ तथा इस हेतु लगाये गये उपकरण औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों व नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के भाग-4 में निर्धारित मापदण्डों, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं विद्यमान अधिनियमों, नियमों व शासनादेशों के अनुसार हैं व क्रियाशील हैं । उसका यह भी दायित्व होगा कि यदि निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोई ऐसी आपत्ति लगायी गयी है जो

आवश्यक नहीं थी तो वह ऐसी आपत्तियों को निरस्त करेगा ; यदि मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं में कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो वह निर्धारित **प्रारूप-ज (संलग्नक-5)** में आवेदक को समस्त आपत्ति एक बार में उपलब्ध करायेगा।

यदि कोई जटिल प्रकरण है तो निर्गमन अधिकारी भी भौतिक रूप से स्वयं भी निरीक्षण कर सकता है। यदि निर्गमन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई तकनीकी जटिलता प्रकट होती है तो वह उसके समाधान व मार्गदर्शन के लिए ऐसे प्रकरण समाधान समिति को सन्दर्भित करेंगे।

घ. **समयावधि** निरीक्षक, समीक्षक एवं निर्गमन अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही 15 दिन के अन्दर की जायेगी।

6. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के पार्ट-4 के तालिका-7 में इंगित कोड का विवरण-

Group A Residential Building	**ग्रुप ए आवासीय बिल्डिंग**
Sub Division A-1 Lodging and romming Houses	उप डिवीजन ए -1 लॉजिंग और रूमिंग हाउस
Sub Division A-2 One or two Family private dwellings	उप डिवीजन A-2 एक या दो परिवार निजी आवास
Sub Division A-3 Dormitories	उप डिवीजन ए -3 डॉरमेटरीज
Sub Division A-4 Apartment Houses	उप डिवीजन ए -4 अपार्टमेंट हाउसेज
Sub Division A-5 Hotels	उप डिवीजन ए -5 होटल्स
Sub Division A-6 Starred Hotels	उप डिवीजन ए -6 स्टार्ड होटल
Group B Educational Building	**समूह बी शैक्षिक भवन**
Sub Division B-1 School up to senior secondary level	उप डिवीजन बी -1 स्कूल-वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक
Sub Division B-2 All other/training institutions	उप डिवीजन बी -2 अन्य सभी / प्रशिक्षण संस्थान
Group C Institution Building	**समूह सी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग**
Sub Division C-1 Hospital and sanatoria	उप डिवीजन सी -1 अस्पताल और स्वास्थ्य भवन
Sub Division C-2 Penal and mental institutions	उप डिवीजन सी -2 दंड और मानसिक संस्थान
Group D Assembly Buildings	**समूह डी सभागार**
Sub Division D-1 Building having a theatrical or motion picture or any other stage and fixed seats for over 1000 persons	उप डिवीजन डी -1 इमारत जिसमें नाटकीय या चलचित्र या अन्य कोई स्टेज हो और उसमें 1000 व्यक्तियों से अधिक बैठने हेतु स्थायी सीट हो।
Sub Division D-2 Building having a theatrical or motion picture or any other stage and fixed seats for over 1000 persons	उप डिवीजन डी -2 इमारत जिसमें नाटकीय या चलचित्र या अन्य कोई स्टेज हो और उसमें 1000 व्यक्तियों तक अधिक बैठने हेतु स्थायी सीट हो।
Sub Division D-3 Building without a permanent stage having accommodation for 300 or more persons but no permanent seating arrangement	उप डिवीजन डी -3 ऐसी इमारत जिसमे 300 या इससे अधिक व्यक्तियों के लिए स्थायी स्टेज भवन न हो एवं बैठने के लिए स्थायी व्यवस्था न हो।
Sub Division D-4 Building without a permanent stage having accommodation for less than 300 persons with no permanent seating arrangement	उप डिवीजन डी -4 ऐसी इमारत जिसमें 300 व्यक्तियों से कम के लिए स्थायी स्टेज भवन न हो एवं बैठने हेतु स्थायी व्यवस्था न हो।
Sub Division D-5 All other structures including temporary structures designed for assembly of people not covered by subdivisions D-1 to D-4, at groud level.	सब डिवीजन डी -5 ग्रुप स्तर पर डी -4 से डी -4 तक उप-विभाजनों में शामिल लोगो के सभागार के लिए तैयार अस्थायी संरचनाओ सहित अन्य सभी संरचनाएं।

Sub Division D-6 Building having mixed occupancies of assembly and mercantile (for example, shopping mall providing facilities such shopping cinema theatres, multiplexes and restaurent/food courts)

Sub Division D-7 Underground and elevated mass rapid tranit system.

Group E Business Buildings

Sub Division E-1 Offices, banks professional establishment, like offices of architects, engineers, doctors, lawyers, post offices and police stations.

Sub Division E-2 Laboratories, outpatient clinics, research establishments, libraries and test houses

Sub Division E-3 Telephone exchanges

Sub Division E-4 Broadcasting stations, Tv Stations and air traffic control towers

Group F Mercantile Buildings

Sub Division F-1 Shops, stores, department stores, markets (any with covered area up to $500m^2$)

Sub Division F-2 Shops, stores, department stores, markets (any with covered area more than $500m^2$)

Sub Division F-3 Underground shopping centers storage and service facilities incidental to the scale of merchandise and located in the same building shall also be included under this group.

Group G Industrial Buildings

Sub Division G-1 Building used for low hazard industries

Sub Division G-2 Building used for moderate hazard industries

Sub Division G-3 Building used for high hazard industries

Group G Storage Buildings

Group J Hazardous Buildings

उप डिवीजन डी -6 बिल्डिंग असेंबली और मर्केंटाइल के मिश्रित अधिभोग (उदाहरण के लिए, शॉपिंग मॉल ऐसी शॉपिंग सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट / फूड कोर्ट)

उप डिवीजन डी -7 अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम।

ग्रुप ई बिज़नेस बिल्डिंग्स

उप डिवीजन ई -1 कार्यालय, बैंक, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकील के कार्यालय, डाकघर और पुलिस स्टेशन।

उप डिवीजन ई -2 लेबोरेटरीज, आउट पेशेंट क्लीनिक अनुसंधान प्रतिष्ठान पुस्तकालय और टेस्ट हाउस

उप डिवीजन ई -3 टेलीफोन एक्सचेंज

उप डिवीजन ई -4 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, टीवी स्टेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर

ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग

उप डिवीजन एफ -1 दुकानें, स्टोर, विभागीय भंडार, बाजार (500m2 तक कवर्ड क्षेत्र के कवर क्षेत्रफल)

उप डिवीजन एफ -2 दुकानें, भंडार, विभागीय भंडार, बाजार (500 मीटर 2 से अधिक कवर क्षेत्र)

उप डिवीजन एफ -3 भूमिगत शॉपिंग सेंटर, भंडारण तथा सेवा सुविधाओं को माल के पैमाने के लिए आकस्मिक और एक ही इमारत में स्थित इस समूह के अंतर्गत भी शामिल किया जाएगा।

समूह जी औद्योगिक इमारतें

उप डिवीजन जी -1 खतरे/जोखिम उद्योगों के लिए उपयोग किये जाने वाले भवन

उप डिवीजन जी -2 मध्यम खतरे वाले उद्योगों के लिए उपयोग किये जाने वाले भवन

उप डिवीजन जी -3 उच्च जोखिम वाले उद्योगों के लिए उपयोग किये जाने वाले भवन

ग्रुप जी भण्डारण बिल्डिंग

ग्रुप जे जोखिम वाले भवन

यदि उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार किसी भवन को किस वर्ग/श्रेणी का माना जायेगा को निश्चित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस सम्बन्ध में भी ऐसे प्रकरण समाधान समिति को सन्दर्भित किये जायेंगे।

प्रारूप—क

ON LINE APPLICATION FORM THROUGH U.P. FIRE SERVICE WEBSITE

1-Type of NOC certificate--

2 UID No.--

3 Applicant Name and Address--
----

4 Applicant Adhar No--

5- Address and Name of the building(Khasra No., Plot No., Tehsil, Street No., City Name) - --
----

6 Mobile/ Phone No.--
7- E-mail I.D.--

8- Type of occupancy as per NBC--
----

9 Height of the building (In mtrs)--

10- Plot area(Total plot area not only area of the building and adjoining set back)--
----

11- Fee (Chalan No.) Rs.--

12- Document needs for NOC--

12-(a) Provisional NOC (1) On Line application with owner/ occupier signature. Building Drawing 4 sets with Fire Fighting and Stuctural safety shown on it.

12-(b) Final NOC (1) On Line application with owner/ occupier signature. In case no previous provisional NOC then building Drawings also required .

12-(c) Renewal NOC (1) On Line application with owner/ occupier signature.

प्रारूप-ख-प्रश्नोत्तरी (संलग्नक-2)

आवेदक द्वारा अनुमोदन, प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य / अग्निशमन अधिकारी,
फायर स्टेशन ....
जनपद...
कृपया आपके कार्यालय द्वारा प्रदत्त यू0आई0डी0 नम्बर ....दिनांक......................................के कम में प्लाट न0 / खसरा न0 ....जिला......................................में मैसर्स...प्रस्तावित भवन का आवेदन प्रारूप भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	विवरण	
1	प्रस्तावित / साईट / भवन का नाम / पता / पोस्टल कोड नम्बर	
2	मालिक / भवन निर्माता का नाम / पता / सम्पर्क नम्बर / ईमेल आईडी	
3	उ0प्र0 फायर सर्विस की वेबसाईट पर प्रार्थना पत्र अपलोड करने की तिथि	
4	फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त यूनिक आइडेन्टीटी नम्बर (यू0आई0डी0 नम्बर) एवं तिथि	
5	प्रस्तावित भवन के आर्किटेक्ट का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर एवं मो0नम्बर	
6	प्रस्तावित / भवन की अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)	
7	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	
8	प्लाट के भूतल का आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	
9	भवन ब्लाकों की कुल संख्या एवं प्रत्येक की अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)	
10	ब्लाकों के मध्य की दूरी (मीटर में)	
11	तलों की कुल संख्या	
12	भूगेह (बेसमेन्ट) की संख्या एवं प्रत्येक का अलग--अलग भू--आच्छादन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) में	
13	अपर भूगेह (बेसमेन्ट) लोअर भूगेह (बेसमेन्ट)	
14	**अग्निशमन व्यवस्था**	आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण
15	अधिवासता के आधार पर भवनों के वर्गीकरण का समूह	

	आवासीय (Residential) शैक्षणिक (Educational) संस्थागत (Institutional) असेम्बली (Assembly) व्यापारिक (Business) मर्केन्टाईल (स्टोरेज Mercantile) भण्डारण (स्टोरेज Storage) खतरनाक (Hazardous)	
16	अधिवासता के आधार पर भवनों के निर्माण का प्रकार का वर्गीकरण (एनबीसी भाग-4 के अनुसार) टाईप-1 टाईप-2 टाईप 3 टाईप-4	
17	भवन के चारों ओर खुले स्थान (मीटर में) सामने (फ्रन्ट) पीछे (रियर) साईड-1 साईड-2	
18	पहुँच मार्ग (मीटर में) पहुँच मार्ग की लम्बाई पहुँच मार्ग की चौड़ाई	
19	पानी का भूमिगत टैंक की क्षमता (किलो लीटर में)	
20	इलेक्ट्रिकल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) डीजल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) जॉकी पम्प/बेसटर पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में)	
21	पानी का टेरिस टैंक की संख्या एवं क्षमता (लीटर में) टेरिस टैंक पम्प की क्षमता (लीटर/मिनट में)	
22	स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम इलेक्ट्रिक पम्प की संख्या एवं क्षमता (लीटर/मिनट में) डीजल पम्प की संख्या एवं क्षमता (लीटर/मिनट में) स्प्रिंकलर हेड की कुल संख्या बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर का विवरण एवं संख्या	
23	फर्स्ट एड होजरील्स प्रत्येकतल पर होजरील की संख्या एवं होजरील की लम्बाई(मीटर में)	
24	भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक (एक्सटिंग्यूशर) भारतीय मानक के अनुसार प्रत्येक तल पर एक्सटिंग्यूशर की संख्या एवं प्रकार	

25	कम्पार्टमेन्टेशन प्रत्येक तल पर फायर / स्मोक को रोकने के लिये वर्टिकल एवं हॉरिजेन्टल कम्पार्टमेन्टेशन का विवरण		
26	स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति / हस्त चालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति		
27	फायर डिटेक्शन सिस्टम प्रावधानित / प्रस्तावित स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या प्रावधानित / प्रस्तावित हीट डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या		
28	फायर अलार्म सिस्टम प्रावधानित / प्रस्तावित हस्तचालित विद्युत एलार्म सिस्टम का विवरण एवं संख्या आई0एस0आई0 के अनुसार मैनुअल कॉल प्वाइन्ट की संख्या और उनके फिक्सिंग का विवरण फायर एलार्म पैनल का लोकेशन		
29	सार्वजनिक भाशण व्यवस्था प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर सार्वजनिक भाषण सिस्टम का विवरण		
30	फायर मैन सिपवयुक्त फायर लिफ्ट		
31	विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत		
34	निकास मार्ग परिसर से बाहर निकलने के लिये निकास मार्ग की व्यवस्था प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर अधिकतम ट्रवल डिस्टेन्स (मी0) में प्रत्येक ब्लॉक में आन्तरिक सीढियों की संख्या प्रत्येक ब्लॉक में बाह्य सीढियों की संख्या आन्तरिक सीढियों की चौडाई बाह्य सीढियो की चौडाई आन्तरिक सीढियों की संख्या बाह्य सीढियो की संख्या पडोस की बिल्डिंग में कैट वाक की व्यवस्था रेफ्यूज एरिया की व्यवस्था हो तो उसका विवरण निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह		
35	निकास द्वार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर निकास द्वार की चौडाई प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर निकास द्वार लम्बाई स्मोक / फायर चेक डोर की व्यवस्था		

	कम्पर ओर की फायर रेटिंग	
	क्या फायर टॉवर की व्यवस्था की गई है	
36	वेटराइजर/डाउन कमर सिस्टम एवं पम्प का विवरण विधुत चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) डीजल चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) जॉकी पम्प	
37	प्रशिक्षित अग्निशमन स्टाफ का विवरण	
38	अनुरक्षण का विवरण	
39	निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल का विवरण	
40	प्रेशराइजेशन का विवरण	
41	स्मोक एक्सट्रेक्शन का विवरण	

संलग्नक-1- यू0आई0डी0 की प्रतिलिपि
2- प्रश्नोत्तरी (प्रारूप-ख)
3- मानचित्र सेट की 03 प्रति

भवन निर्माणकर्ता/आर्किटेक्ट का नाम
हस्ताक्षर.....................
दिनांक.....................
सील.....................

प्रारूप–ग (संलग्नक-4)

मानचित्र के अनुमोदन हेतु निरीक्षण अधिकारी द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप

सेवा में

.....,

..... ।

विषयः प्लाट / खसरा न0–.....त0.....जिला.....
..... मे प्रस्तावित मैसर्स .....
भवन के अनुमोदन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आदेशानुसार प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का परीक्षण किया गया तो प्रश्नगत भवन का विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचनाः पूर्व में यदि कोई मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण पत्र संख्या .....दिनांकः ..... के अनुसार निर्गत अनुमोदन के अनुसार विवरण (पूरे भवन का विवरण दें)

1–कुल भूखण्ड एरिया ..... वर्ग मी0।
1 -प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया- ..... वर्ग मी0।
2 प्रथम तल से ऊपरी तलो का टिपिकल कवर्ड एरिया–..... वर्ग मी0 (प्रत्येक तल का क्षेत्रफल अंकित करे)

.....

.....

3–बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–..... वर्ग मी0।
4 बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया–..... वर्ग मी0।
5–बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया.....वर्ग मी0।
6- भवन की उचाँई- ..... मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की ..... श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है
(औद्योगिक भवन होने पर उसमे प्रयुक्त मैटीरियल का विवरण अंकित किया जाये).....

.....

ढांचागत व्यवस्थाऐं:–

1- **पहुँच मार्ग–** भवन के सामने..... मी0 चौड़ा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग ..... मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2 **-सैटबेक–**

अग्रभाग .....मी।
पृष्ठ भाग–.....मी0।
पार्श्व भाग–प्रथम–..... मी0।
पार्श्व भाग द्वितीय–..... मी0।

भवन के सैटबेक भवन निर्माण विनियमावली / एन0बी0सी0 के संसगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, जो अग्निशमन वाहनों हेतु खुले उपलब्ध है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन मे.....अदद एक्सटरनल स्टेयरकेस जिनकी चौडाई ..... मीटर एवं.....अदद इण्टरनल स्टेयरकेस जिनकी चौडाई .....मीटर एनबीसी/भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार है। निकास मार्गो की समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:—प्रश्नगत भवन मे रिफयूज एरिया एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप उपलब्ध ..... है।

घ—**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था**— निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं उसमे सन्दर्भित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पाई गई (जो मानक के अनुसार वॉच्छनीय हो अंकित की जाये)

1—**होजरील/डाउन कामर**:—प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2—**टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प**:— प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक ..... ली0 क्षमता का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

3- **भूमिगत टैंक**:- प्रश्नगत भवन मे ..... ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एव मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4—**पम्प**:- प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास क्षमता .....के ..... अदद विद्युत चालित मेन फायर पम्प, समकक्ष क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प एवं एक अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित है जो स्वचालित पद्वति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0—3844—1989 के अनुसार वॉच्छनीय है।

5 वेटराइजर:— प्रश्नगत भवन मे वेटराइजर सिस्टम मानक के अनुसार वॉच्छनीय है, जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0—3844 1989 के अनुसार संयोजित किया जाना वॉच्छनीय है।

6—**यार्ड हाइड्रेण्टस**:— प्रश्नगत भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7—**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:— भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0—2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

8—**ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम**:— सम्पूर्ण भवन मे ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

9 **मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**:—सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10- **ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम**:—

11 **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम**:—

12 **प्रेशराईजेशन प्रणाली** :—1—किन किन स्थानो पर प्रेशराईजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की क्षमता इत्यादि है।

13—**एग्जिट साईनेज**:—सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये/प्रस्तावित है।

14—**पी0ए0 सिस्टम**:— पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन मे प्रस्तावित/स्थापित हैं।

15- **अन्य अभियुक्ति**

अतः उपरोक्तानुसार आख्या संस्तुति/ आपत्ति सहित प्रेषित है।

अग्निशमन अधिकारी/
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

प्रारूप–घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यूआईडी संख्या.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.....
.....(भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता.....
.....जिसमे.....तलो की संख्या एवं बेसमेन्ट की संख्या....
.....है, जिसकी ऊँचाई .....मीटर तथा प्लाट एरिया.....है।
भवन का अधिभोग.....(भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी)..... के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।।
निर्गत किये जाने का दिनांक:.....
स्थान.....

हस्ताक्षर–
निर्गमन अधिकारी
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक)

प्रारूप—च (संलग्नक-8)

भवन स्वामी/अधिभोगी का घोषणा पत्र

मैं ---------------------- ---(भवन स्वामी/अधिभोगी) यह घोषणा करता हूँ कि- --------------------------------(भवन का नाम) ---------------------------- भूखण्ड संख्या ----------------------पर स्थित, व्यवसायिक/अव्यवसायिक भवन में यू0आई0डी0 नं0-------द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र के अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ उप निदेशक/संयुक्त निदेशक एवं निदेशक द्वारा भवन का निरीक्षण/परीक्षण मेरी उपस्थिति में किया गया। समस्त अग्नि एवं जीवन सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्थायें कार्यशील पायी गयी।
मैं घोषणा करता हूँ कि भवन में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण व ढांचागत परिवर्तन नही किया गया है जिससे भवन के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा पर विपरित प्रभाव पड़े। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भवन में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के उपायों को सदैव कार्यशील रखूँगा।

हस्ताक्षर
नाम
भवन स्वामी/अधिभोगी

प्रारूप–छ (संलग्नक-6)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate)

यू0आई0डी0 संख्या---------------------------------------(अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार)
दिनांक----------------

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स--------------------------------------(भवन / प्रतिष्ठान का नाम) पता---जिसमें ------------------तलों की संख्या एवं बेसमेन्ट की संख्या----------है, जिसकी ऊँचाई -----मीटर तथा प्लाट एरिया-----------है। भवन का अधिभोग -------------------------------(भवन स्वामी / अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी ---------------------------द्वारा दिनांक ---------को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ------------------------के साथ किया गया, तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी)------------के अन्तर्गत वैधता तिथि ------------से ---- तक वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

निर्गत किये जाने का दिनांक -----------
स्थान-------------------------------

हस्ताक्षर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उप निदेशक /
संयुक्त निदेशक

प्रारूप–ज (संलग्नक-5)

आवेदक को प्रेषित की जाने वाली आपत्ति का प्रारूप

सेवा में,

मैसर्स.................................

....

जनपद ....।

विषय: प्लाट / खसरा न0–.......... ....त0.......................जिला...

.... मे प्रस्तावित मैसर्स ....

.... भवन की आपत्तियों के सम्बन्ध में।

यूआईडी संख्या: ————

दिनांक:—— ——

महोदय,

कृपया मेरे द्वारा अग्निशमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उपनिदेशक फायर सर्विस की आख्या दिनांक————————का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण किया गया निम्नांकित आपत्तियाँ प्रकाश मे आयी:–

1

2

3

4

5

6

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कराकर आपत्तियों का निराकरण कराकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय को पुनः आवेदन करे, ताकि प्रश्नगत प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर

निर्गमन अधिकारी

प्रारूप--झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

(Renewal of Fire & Life Safety Certificate)

यूआईडी संख्या.....(अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार) दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.....

.....(भवन / प्रतिष्ठान का नाम) पता.....

.....जिसमे.....तलो की संख्या एवं बेसमेन्ट की संख्या.....

है, जिसकी ऊँचाई .....मीटर तथा प्लाट एरिया.....है। भवन का अधिभोग.....

.....(भवन स्वामी / अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन मे अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाये एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन मे स्थापित व्यवस्थाओ का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निषमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....

.....द्वारा दिनांक .....को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री.....

.....के साथ किया गया, तथा भवन मे अधिष्ठापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को मानको के अनुसार यथास्थिति मे पाया गया। अतः प्रष्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) .....

.....के अन्तर्गत वैधता तिथि .....से .....तक .....वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन मे सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

निर्गत किये जाने का दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उप निदेशक /

संयुक्त निदेशक

प्रारूप–ठ (संलग्नक-10)

औपबन्धिक(provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण से सम्बन्धित **अपील के आवेदन का प्रारूप**

अपील यूआईडी नं0:–.....दिनांक:.....

श्री.....पुत्र श्री.....निवासी.....अपील कर्ता .....

बनाम

.....

गृह विभाग उ0प्र0 शासन, के शासनादेश संख्या.....के अन्तर्गत श्री .....(मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक) द्वारा जारी किये गये नोटिस/अनापत्ति प्रमाण पत्र/अग्नि सुरक्षा अधिभोग प्रमाण पत्र यूआईडी नं0..... दिनांक: .....के विरूद्ध अपील

महोदय,

अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों को संलग्न किया गया है।

1– सभी तथ्यो का विवरण–

2–अपील का आधार–

3–निर्धारित शुल्क रू0.....डीडी नं0/चालान नं0/पेमेन्ट गेटवे नं0..... दिनांक:.....

4–अपील निर्धारित समयावधि मे की जा रही है.....

5–कोई अन्य अपील उपरोक्त विषयक किसी अन्य न्यायालय मे विचाराधीन नही है।

6– राहत सम्बन्धी दावा प्रस्तुत किया गया है।

7– संलग्न किये गये अभिलेखो की सूची (यदि हो तो)

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर यदि कोई हो तो, अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, एवं अन्य कोई तथ्य नही छुपाया नही गया है।

आज दिनांक.....सन् .....को सत्यापित किया जाता है।

स्थान

दिनांक:

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर यदि कोई हो तो,

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

समीक्षक अधिकारी द्वारा अग्रसारित की जाने वाली आख्या प्रारूप-ब (संलग्नक-7)

उप निदेशक,

प्रेषित। ....

अग्निशमन अधिकारी................ .... की आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया। अग्निशमन व्यवस्थाएँ मानकों के अनुरूप प्राविधानित पायी गयी।

अतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स.. के प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है/आपत्ति की जाती है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में प्राविधानित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नाम

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/समीक्षक अधिकारी
जनपद
सील/मोहर

समीक्षक अधिकारी द्वारा अग्रसारित की जाने वाली आख्या

संयुक्त निदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी..... .... की आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया। अग्निशमन व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप प्राविधानित पायी गयी।

अतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स.. के प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है/आपत्ति की जाती है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में प्राविधानित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्मित किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

नाम

उप निदेशक/ समीक्षक अधिकारी
जनपद
सील/मोहर

INSPECTION REPORT

1. Name & address of the building : _____
2. Type of Occupancy : _____
3. Type of Case : New Case/Renewal
4. Details of previous NOC : Letter No. _____ Dated: _____
5. Fire & Life Safety directives letter No : _____
6. Date of inspection : _____
7. Name of the Inspecting Officers : _____
8. Name and designation of officers from the building side : _____
9. Year of Construction : _____
10. Applicant's letter No. : _____
10A. U.I.D. No. : _____

Building Details:

a) Height of building:
b) Plot Area:
c) Nos. of upper floors
d) No. of basements
e) Area of basement:
f) Area of upper floors:
g) Total Covered area:
h) Surrounding Risk:
- East:
- West:
- North:
- South:

h) Ramp Details:
- Location:
- Distance from building Line:
- Gradient
- Width

Minimum Standards on fire prevention and fire safety	NBC Requirement	Provided at site	Remarks Meeting Requirement/ Not Meeting Requirement
Access to building			

• Access Road width • Internal Road around building • Turning diameter at corners • Load Bearing Capacity • Gate width • Height of Arch, if any • Height of HT lines, if any.			
Number, Width, Type & Arrangement of Exits			
a. Number of staircases • Upper Floors • Basements b. Width of staircases • Upper Floors • Basements c. Protection of exits • Fire check door • Pressurization d. No. of continuous staircases to terrace e. Hand Rails: distance from wall f. Width of Corridor g. Door Size h. Firefighting Shaft			
Compartmentation.			
• Size of Compartment ➢ Upper Floor ➢ Basement • Fire check door ➢ Rating ➢ Door Closer ➢ Seal ➢ Activation Mechanism, if any. • Sealing of electrical shafts • Fire Rating of shaft door • Detector in Shaft • Fire Dampers			
Smoke Management System.			

• Basements • Upper floors • Activation • Exhaust fan capacity • Supply air fan capacity • Discharge of supply air level			
Fire Extinguishers			
• Total numbers • Types • IS marking • Date last refilled			
First-Aid Hose Reels.			
• Total numbers on each floor • Length of hose reel hose • Nozzle diameter			
Automatic fire detection and alarming system.			
• Type of detectors • Location of Main Panel • Location of Repeater Panel • Alternate source of power • Hooters" Location			
MOEFA • Pill Box Location • Hammer • Indication on Panel			
Public Address System. • **Broadcast** • **Selective Announcement** • **Alternate Source of Power**			
Automatic Sprinkler System. • Basement • Upper Floor • Sprinkler above false ceiling • Sprinkler Rating • Flow Switch • Test Valve • Gong Bell • ICV insatallation Control Valve			

Internal Hydrants			
• Size of riser/down-comer • Number of hydrants per floor • Hose Box • Nos. of hoses • Branch pipe • Floor Indication • Fire Service Inlet			
Yard Hydrants.			
• Total number of hydrants • Hose Box • Nos. of hoses • Branch pipe • Floor Indication • Fire Service Inlet			
Pumping Arrangements.			
• Ground Level (Internal/External hydrants) & Sprinkler System Pump ➢ Discharge of Main Pump ➢ Head of Main pump ➢ Number of main pumps ➢ Jockey Pump out put ➢ Jockey pump head ➢ Standby Pump out put ➢ Standby Pump Head ➢ Auto Starting/ Manual stopping ➢ Pump House Access ➢ Communication with Fire Control Room • Terrace level ➢ Discharge of pump ➢ Head of the pump ➢ Power Supply ➢ Auto Starting of pump			
Captive Water Storage for fire fighting.			

• Underground tank capacity • Draw off connection • Draw-Off connection • Access to tank • Overhead Tank capacity			
Exit Signage • Exit Sign- Illuminated/Reflective • Size • Colour • Height • Alternate source of supply • Locations • Directional Sign			
Provision of Lifts. • Pressurization of Lift Shaft • Pressurization of Lift lobby • Communication In lift Car • Fireman"s Grounding Switch • Lift Signage			
Standby power supply • Total emergency load • KVA • Oil Capacity			
Refuge Area. • Total Area • Location • Connectivity to Staircase • Segregation from rest of floor • Emergency Light • Sprinkler			
Fire Control Room			

• Detector System Panel • Flow Switch Panel • PA System Panel • Batter backup • Building Floor Plans				
Special Fire Protection Systems for Protection of special Risks, if any: • Transformer • LPG bank • Boiler • Radio Active Store • Hazardous Storage • Any Other Risk; protection thereof.				
Fire Drill				
Maintenance of Fire Fighting System				
Staff /Training for operation of Fire Fighting system and appointment of Fire Safety Officer				
EvacuationPlan & Drills				
Periodical renewal of Fire and life safety certificate				